पत्राँकः– YEIDA / उद्योग / 2022 /   दिनांक 28/07 / 2022

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा YEIDA के औद्योगिक भूखण्डो के आंवटीयों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश सं0 –वाई0ई0ए0 / वित्त / 446 / 2022 दिनांक–30.06.2022 व वाई0ई0ए0 / वित्त / 768 / 2022 दिनांक–04.01.2022 के कम में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयो पर दिनांक– 01.07.2022 से ब्याज दरें निम्नवत् लागू होगीं।

1. प्राधिकरण की सभी प्रकार की देयों हेतु दिनांक–01.07.2022 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देय होगी। यह ब्याज दर तीन वर्ष की अवधि हेतु एस0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर के आधार पर शासनादेश में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को पुर्ननिर्धारित की जायेगी।
2. समय से देयों का भुगतान न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर (9% + 3%) = 12.00% प्रतिशत (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउडिंग करते हुए) लागू होगीं।
3. उपर्युक्त दरें दिनांक–01.07.2022 से प्रभावी होगीं।
4. एस0बी0आई0 पी0एल0आर0 पर आवंटित परिसम्पत्तियों के लिये उनके आवंटन पत्र / लीज डीड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ब्याज देय होगा।

सहायक महाप्रबन्धक (उद्योग)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल,कामर्शियल काम्पलैक्स,पी–2, सैक्टर–ओमेगा–1 ग्रेटर नोएडा,सिटी,
गौतमबुद्ध नगर, 201308(उ0प्र0)